

| | | | |
|-------|-------------------|-------|-------|
| राज्य | विद्यार्थी का नाम | राज्य | राज्य |
|-------|-------------------|-------|-------|

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| राज्य | राज्य | राज्य | राज्य |
| राज्य | राज्य | राज्य | राज्य |
| राज्य | राज्य | राज्य | राज्य |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य |
| राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य | राज्य |

राज्य (राज्य) राज्य

राज्य का नाम :-

राज्य - राज्य

17/01/21

राज्य-राज्य

राज्य

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ

क्रमांक/राजस्व/2021/1143

दिनांक: 22.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 06/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं0 1 रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा 124 की कुल 6.942 है0 में से 0.063 है0 में मूंग अप्रार्थीगण सं0 2 झिण्डूराम, अमीलाल, शंकरलाल, रूपराम, देवीलाल, महेन्द्र पिसरान कालूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है0 में से 0.126 है0 में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू0अ0नि0 जबरारसर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 25 रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1144-46

दिनांक:- 22.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरारसर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर



राजस्व
ताजि खरसण्डी
26/10/21

26/10/21

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार वगै० साकिन खरसण्डी वगै० किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं०.....०६ सन् 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 15/9/2021 | <p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण सं० 1 रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में मूंग अप्रार्थी सं० 2 झिण्डूराम, अमीलाल, शंकरलाल, रूपराम, देवीलाल, महेन्द्र पिसरान कालूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरारसर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/9/2021 को पेश हो।</p> | |
| 24/9/21 | <p>पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थीगण की प्रतिक्रिया पर नोटिस जारी की जाकर पत्रावली लिख गयी। ILR एवं ड्रॉईंग की रिपोर्ट अर्द्ध अट. ड्रॉईंग के संलग्न के पत्रावली दिनांक 31/10/21 को पेश हो।</p> | |
| 31/10/21 | <p>पत्रावली पेशी में ली गई। ILR एवं ड्रॉईंग की रिपोर्ट पेश की जाकर पत्रावली ली गई। ILR की खरीफ फसल काश्त हेतु अलग से एक लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 31/10/21 को पत्रावली पेश हो।</p> | |

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 06

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार वगै० खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में मूंग अप्रार्थीगण सं० 2 झिण्डूराम, अमीलाल, शंकरलाल, रूपराम, देवीलाल, महेन्द्र पिसरान कालूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरासर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रु. 2.5 /- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरासर द्वारा कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अगल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

22.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भूअभिनिरीक्षक से फर्द कुर्की रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं० 1 रामकुमार पुत्र हरलाल जाति कुम्हार साकिन खरसण्डी द्वारा 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में मूंग अप्रार्थीगण सं० 2 झिण्डूराम, अमीलाल, शंकरलाल, रूपराम, देवीलाल, महेन्द्र पिसरान कालूराम जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.126 है० में ग्वार फसल नाजायज काशत करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भूराजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि 2.5 रु० से दण्डित किया जाता है। भूअभिनिरीक्षक को आदेश दिये जाते हैं कि वे कुर्क शुद्ध खडी फसल की निलामी करवाकर निलामी राशि बाद अनुमोदन खजाना राज में जमा करावे तथा अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


तहसीलदार(राजस्व)
नोहर

रामपुर
802
8/10/21

फर्द कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : 08/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

नाहर के आदेशानुसार अतिक्रमी श्री रामकुमार पुत्र श्री हरलाल

जाति कुम्हार निवासी खरसन्डी की वल/अवल संपत्ति रामकुमार पुत्र हरलाल

फारि फाट सा. खरसन्डी के ख.न. 124 की 0.063 ई क्वा व

शिण्डराम, अमीलाल, शहरलाल, कपूराम, इन्दीलाल, महेन्द्र,

पि. कालुराम फारि फाट सा. खरसन्डी द्वारा 0.126 ई क्वा

के ख.न. 124 की 0.126 ई क्वा ग्वाट हो

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति खुर्द बुर्द न करे


अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।


उक्त कुर्क संपत्ति श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री प. खाड़ी जाति

निवासी की सुपुर्दगी मे देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति खुर्द बुर्द हो तो

रिपोर्ट करे।

तहसीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करायें गए।


8/10/21


9/10/21
भू0अ0नि0 8-10-2021

मि. नं. 06/21

फर्द निलामी

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980 दिनांक 8/10/21 की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. 124 की श. दु. रास्ता भूमि में फसल गन्ना खर नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ① रामकुमार पुत्र हरलाल

जाति कुम्हार सा. खरसोडी ② सिद्धराम, अमीलाल, शंकरलाल, कपराम, देवीलाल, महेन्द्र पि. कालुराम जाति वाई सा. खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों में उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

| क. स. | बोलीदाता | बोली की राशी |
|-------|--|--------------|
| | | I II |
| 1. | श्री प्रहलाद पुत्र श्री श्योचन्द जाति जाट साकिन खरसोडी | 200 (325) |
| 2. | श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसोडी | 240 |
| 3. | श्री शंभुराम पुत्र श्री मालुराम जाति जाट साकिन खरसोडी | 285 |
| 4. | श्री प्रथमराज पुत्र श्री दण्डीराम जाति जाट साकिन खरसोडी | 310 |

उपरोक्त में श्री प्रहलाद पुत्र श्री श्योचन्द जाति जाट साकिन खरसोडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

प्रहलाद

मनीज कुमार

अ. नि. शंभुराम

जयप्रकाश



अ. नि.
21/10/2021
राजस्व पटवारी
प. प्र. ललामिया

अ. नि. राजस्व
21-10-2021

21/10/21